

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

1. शिशु हितलाभ योजना
2. मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
3. कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना
4. अंत्येष्टि सहायता योजना
5. निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना
6. सौर ऊर्जा सहायता योजना
7. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
8. चिकित्सा सुविधा योजना

9. मातृत्व हितलाभ योजना
10. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
11. कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
12. निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
13. अक्षमता पेंशन योजना
14. आवास सहायकता योजना
15. महात्मा गाँधी पेंशन योजना
16. शौचालय सहायता योजना

1. निर्माण श्रमिक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. वैवाहिक स्थिति(विवाहित/अविवाहित/विघ्वा/विद्वुर).....
4. पंजीयन संख्या पंजीयन दिनांक
5. आधार संख्या मोबाइल नंबर
6. वर्तमान पता
7. स्थाई पता
8. यदि पति पत्नी, दोनों पंजीकृत हैं, तो पति/पत्नी की पंजीयन संख्या (आवेदनकर्ता से भिन्न).....
9. राष्ट्रीयकृत बैंक एवं शाखा का नाम.....
10. खाता संख्या (CBS Branch)IFSC Code.....
- 11 आवश्यक स्वप्रमाणित अभिलेखों की सूची :-
 1. श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति।
 2. आधार कार्ड की छायाप्रति।
 3. बैंक पासबुक की छायाप्रति (एकाउण्ट न0, शाखा का पता व Ifsc Code हेतु)।
 4. संबंधित योजना से संबंधित आवश्यक अभिलेख/सूचना :-
 1. 2
 3. 4
 5. 6

घोषणा

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य झूटा/विपरीत पाया जाता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी द्वारा इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं/आवेदन नहीं किया गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान)

प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/कु0 पिता/पति पंजीकरण संख्या
 से आज दिनांक को एक प्रार्थना पत्र योजना के अंतर्गत प्राप्त
 किया गया है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम, पदनाम व मोहर
 दिनांक

स्वीकृति पत्र

पंजीकृत श्रमिक श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री.....

श्रेणी.....

पता.....

आपको स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत संचालित खुले में शौच मुक्त अभियान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्ध्यनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु चयनित किया गया है। आपके द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

1. आपके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत लीज पिट शौचालय का निर्माण निम्न मानकों के अनुरूप किया जायेगा:-

- दो जालीदार गड्ढे (प्रत्येक गड्ढे की 1.23 मीटर चौड़ाई एवं 1.20 मीटर गहराई)
- दोनों गड्ढे के बीच 1 मीटर की दूरी।
- गड्ढे के ऊपर मजबूत पिट कवर (छलाई करते हुए सरिशा युक्त)
- एक जंकशन चैम्बर (जिसकी लम्बाई 9 सेमी 0 चौड़ाई 9 सेमी 0 गहराई 9 सेमी 0) जो गड्ढों के पाट से जोड़ेगा।
- शौचालय कक्ष (न्यूनतम आन्तरिक लम्बाई 1.10 मीटर चौड़ाई 1 मीटर ऊँचाई आगे से 2.10 मीटर पीछे से 1.90 मीटर)
- शौचालय की दीवार से बाहर की तरफ पानी की टंकी (लम्बाई 24 सेमी 0 चौड़ाई 18 सेमी 0 गहराई 24 सेमी 0) जिसमें शौचालय के भीतर की तरफ एवं बाहर की तरफ टोटी लगी हो, बनाई जायेगी।
- शौचालय की छत की गुणवत्तापरक छलाई।
- रंगाई, पुताई (सफेद रंग पूरे शौचालय पर व लाल रंग की बाईर पट्टी)
- लाभार्थी (स्वयं) का नाम, योजना का नाम, स्वच्छता स्लोगन (पीले रंग से बेस पर लाल रंग से) का शौचालय पर लेखन।
- शौचालय से जल स्रोत की दूरी कम से कम 10 मीटर।

2. प्रोत्साहन धनराशि 12000.00 (बारह हजार रु0) दो किश्तों में प्रदत्त की जायेगी :-

क्र0 सं0	किश्त	धनराशि का आवंटन	प्रदत्त करने का समय
1	प्रथम किश्त	6000 रु0	• शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में
2	द्वितीय किश्त	6000 रु0	• शौचालय निर्माण के उपरान्त उसका प्रयोग करने के उपरान्त

3. शौचालय का निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्री से ही कराया जायेगा।

4. शौचालय का निर्माण 15 दिन के भीतर अवश्य करना होगा।

उपरोक्तानुसार शर्तों के उल्लंघन पर तथा समयबद्ध रूप से मानकों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण तरीके से शौचालय का निर्माण न करने पर लाभार्थी को अधिक किश्ते प्रदत्त नहीं की जायेगी और पूर्व प्रदत्त किश्तों की 30प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक.....

ग्राम प्रधान/अध्यक्ष ग्र0प0 का नाम.....हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत सचिव का नाम.....हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

पावती

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी.....

निवासी.....को स्वच्छ

भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत संचालित खुले में शौच मुक्त अभियान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्यनिर्माण कमिकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आज दिनांकको स्वीकृति पत्र प्राप्त कराया गया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर जारीकर्ता/ सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर (नोट-कृपया स्वीकृति पत्र दो प्रतियों में बनाये, एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखें।)